

वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के लिए कार्य योजना

वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा नीति के अनुपालना में निम्न मदों पर कार्य योजना का प्रस्ताव किया जाता है: -

क्र. सं.	वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कार्यक्रम के मद	अनुपालना की स्थिति	अपेक्षित कार्रवाई
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 प्रकार के दस्तावेज़ द्विभाषी (हिंदी तथा अंग्रेजी) रूप में जारी करना।	वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं।	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों की आवधिक जांच की जाती है।
2.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।	वर्ष 2022-23 के दौरान राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जा रहा है।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 की अनुपालना की नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है।
3.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाए।	यह कार्यालय 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित है।	कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तथा 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित है।
4.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूप और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूप और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) का अनुपालन किया जा रहा है।
5.	कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले कोड़, मैनुअल तथा मानक मसौदों का अनुवाद।	कार्यालय द्वारा मुख्यालय को भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत कार्यालय में 09 मैनुअल तथा 12 मानक मसौदे तथा 24 फॉर्मस द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।	कार्यालय में उपलब्ध मैनुअल, मानक मसौदे तथा फॉर्मस द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
6.	कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो।	कार्यालय में वर्तमान केवल दो अनुवादक जिसमें 01 हिंदी अधिकारी तथा 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कार्यरत है।	कार्यालय में 01 हिंदी अधिकारी 01 वरिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा 03 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद हैं। जिनमें से 01 हिंदी अधिकारी तथा 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कार्यरत है।
7.	अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाए।	वर्ष 2022-2023 के दौरान कार्यालय में होने वाली सभी विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में बनाए गए हैं।	कार्यालय में होने वाली सभी विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप में बनाए जाते हैं।

8.	"ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाना।	कार्यालय में प्रशिक्षण केंद्र RTC द्वारा हिन्दी, गुजराती भाषा में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाई जाती है।	कार्यालय में प्रशिक्षण केंद्र RTC में द्विभाषी रूप में सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
9.	हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करवाना।	कार्यालय में नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। गत वर्ष में कुल चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।	राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।
10.	कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण का सत्र रखना।	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय को इस संबंध में अवगत करवाया गया था जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण सामग्री भी द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।	इस संबंध में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान को इस संबंध में अवगत करवाया गया है।
11.	हिन्दी में कार्य का माहौल तैयार करने हेतु हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन।	कार्यालय की हिन्दी पत्रिका "दांडी" का प्रकाशन वर्ष 2021 में करवाया गया था। वर्ष 2023 के लिए पत्रिका प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है।	वर्ष 2023 के लिए हिन्दी पत्रिका "दांडी" के प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है।
12.	कार्यालय की वेबसाइट को हिन्दी में विकसित करना।	कार्यालय की वेबसाइट का द्विभाषीकरण कर दिया गया है।	इस कार्यालय में द्विभाषी वेबसाइट उपलब्ध है।
13.	कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग हेतु यूनिकोड ईकोडिंग का प्रयोग।	कार्यालय में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी कम्प्यूटर में यूनिकोड ईकोडिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।	कार्यालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटर में यूनिकोड ईकोडिंग की सुविधा उपलब्ध है।
14.	राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई-सरल हिन्दी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिन्दी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सागान्य टिप्पणियाँ हिन्दी में लिख सकते हैं।	राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई-सरल हिन्दी वाक्यकोश" को डाउनलोड कर इन वाक्यों का इस्तेमाल हिन्दी कार्यशालाओं में कराया जाता है।	राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार अनुपलाना सुनिश्चित की जा रही है।
15.	हिन्दीतर राज्यों में साइनबोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेत द्विभाषी में प्रयोग किए जाए।	कार्यालय के साइनबोर्ड, नामपट्ट द्विभाषी रूप में है तथा मुख्य साइनबोर्ड कार्यालय त्रिभाषा रूप में बनाया गया है।	कार्यालय के सभी नामपट्ट द्विभाषी बनवा लिए गए हैं।

सत्य कुमार

हिन्दी अधिकारी/हिन्दी कक्ष